an>

Title: Issue regarding poverty alleviation schemes started by previous NDA Government.

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान देश के लोकप्रिय भूतपूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेतु अपनी ड्रीम प्रोजैक्ट योजना स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) सन् 1999 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में योजना का कार्य विकास विभाग के कर्मचारियों तथा एनजीओ द्वारा करवाया गया। अपेक्षित सफलता न मिलने पर योजना को गति प्रदान करने हेतु सन् 2004 में न्याय पंचायत स्तर पर सुविधादाता की नियुक्ति की गई थी। उनके उत्साह एवं लगनपूर्वक कार्य करने से योजना फलीभूत होने लगी। योजना से गरीबों को सीधे लाभ (अनुदान तथा ऋण) देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाता था। गरीबों में एनडीए सरकार के प्रति अच्छी छवि बन रही थी। इसलिए यूपीए सरकार ने योजना को असफल करने के उद्देश्य से 2012-13 में योजना को फ्लैगशिप योजना में शामिल कर उसका नाम बदलकर ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कर दिया तथा योजना में समूहों को मिलने वाला अनुदान भी समाप्त कर दिया। यूपी की सपा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए मौखिक आदेश देकर सुविधादाताओं को कार्य करने से रोक दिया जिस कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई --

दोनों योजनाएं एसजीएसवाई तथा एनआरएलएम समान हैं परन्तु एनआरएलएम कार्य करने हेतु सुविधादाताओं को अयोग्य करार दिया गया जिससे लगातार नौ वर्षों तक अच्छा कार्य करने के बावजूद पांच हजार सुविधादाता बेरोजगार हो गए। सुविधादाताओं के कार्य से हटने के बाद समूहों से जुड़े लगभग तीन करोड़ गरीब लोगों की सहायता करने वाला कोई नहीं रह गया। इससे लेन-देन में विवाद होने लगा तथा बैंकर्स ने अनुदान पर ब्याज भी वसूलना शुरू कर दिया और अधिकांश बैंक समूह डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए।

इसी तरह एसजीएसवाई योजना सभी गरीबों, प्रदेशों सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लागू थी तथा सभी विकास खंडों में 800 से 1000 तक समूह बन चुके थे जबकि रूपांतरित योजना एनआरएलएम प्रदेश के 22 जनपद के 78 इंसेटिव विकास खंडों में लागू की गई। इस कारण बाकी लगभग 800 विकास खंडों में समूहों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।...(व्यवधान)

एनआरएलएम योजना का कार्य फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले सुविधादाताओं हेतु कोई स्पष्ट निर्देश यूपीए सरकार ने गाइडलाइन में नहीं दिया है। ...(व्यवधान) इस कारण राज्य सरकार अनुभवी सुविधादाताओं के स्थान पर आउट सोर्सिंग कर एनजीओ से कार्य करवाती है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन में आवश्यक संशोधन करवाकर अनुभवी सुविधादाताओं को कार्य पर लगाने की कृपा करें जिससे पांच हजार सुविधादाता तथा तीन करोड़ समूह वालों का भला हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोडमल नागर,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

डॉ. किरीट सोलंकी

श्री शरद त्रिपाठी तथा

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दहन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।